षड़यंत्र

**आरके अर्थ रिसोर्सेज के खिलाफ भाजपा पूर्व मंडल अध्यक्ष बुढ़ार द्वारा रचा जा रहा षडयंत्र**

# कामाख्या के स्वार्थ की राजनीति से भाजपा हो रही बदनाम

**प्रदीप शर्मा**

**नवभारत,धनपुरी।** सोहागपुर क्षेत्र/बकहो/ एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र शारदा आईसीएम में ओवर बर्डन एवं कोयला निस्तारण के कार्य में संलग्न निजी कंपनी आरके अर्थ रिसोर्सेज के खिलाफ भाजपा के तथाकथित नेता कामाख्या के द्वारा लगातार सुनियोजित षड्यंत्र रचकर कंपनी को बदनाम कर अपनी स्वार्थ की महत्वकांक्षाओं की पूर्ति की जा रही है जिसका खामियाजा आरके अर्थ रिसोर्सेज कंपनी साथ ही एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र प्रबंधन को भुगतना पड़ रहा है दिनांक 23 मई 2026 दिन शनिवार को कामाख्या के तथाकथित श्रम संगठन के द्वारा माइंस क्षेत्र अंतर्गत कंपनी में कार्यरत अपने कर्मियों के द्वारा हड़ताल किया गया हाश्यास्पद यह है की हड़ताल तो को गई जरूर लेकिन हड़ताल करने का कोई औचित्य ही नही था कंपनी के द्वारा एचपीसी दर से भुगतान किया जा रहा है और जिन्हे एचपीसी से अभी वंचित रखा गया है तो उस पर भी कंपनी प्रबंधन के द्वारा कहा गया की चंद दिवसों के अंदर कागजी कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात सभी को एचपीसी की दर से भुगतान किया जाएगा लेकिन इसके विपरित ही पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष के द्वारा 23 मई को सुनियोजित हड़ताल करवाई गई जिसका खामियाजा प्रबंधन को साथ ही निजी कंपनी को 1 करोड़ रुपए के नुकसान के रूप ने भुगतना पड़ा कम्पनी का कहना है की लगातार कामाख्या नामक व्यक्ति के द्वारा हम पर दबाव डाला जा रहा और कार्य में लगातार विघ्न उत्पन्न किए जाते रहे हैं जिसकी वजह से आए दिन हमे करोड़ों रुपए की आर्थिक हानि होती आई है मानवीय संवेदनाओं के सवाल और स्थानीय रोजगार के सवाल पर उन्होंने कहा की हमारी पहली प्राथमिकता स्थानीय युवा जो की कंपनी में कार्य के लिए योग्यता रखते हैं उन्हें देने की है लेकिन कामाख्या नारायण के 41 व्यक्तियों को नौकरी पर रख लेने के बाद भी इनकी व्यक्तिगत उम्मीद कम होने का नाम नहीं ले रही है और इनके द्वारा लगातार 19 व्यक्तियों को और कार्य पर रखने हेतु दबाव बनाया जा रहा है जबकि कंपनी आरके अर्थ रिसोर्सेज का कहना है अगले चरण का जब कार्य प्रारंभ होगा तो हम आवश्यकतानुसार कर्मियों की भर्ती करेंगे लेकिन अभी हमारा काम वृहद स्तर पर प्रारंभ नही हुआ है तो हम उन्हे कार्य पर नही रख सकते।

### न्यायालय के आदेश का दिया जा रहा हवाला

कामाख्या के द्वारा न्यायालय के आदेश का हवाला देकर अपने स्वार्थ की पूर्ति करवाने का भर्षक प्रयास जारी है कंपनी का कहना है की हम माननीय उच्च न्यायलय के आदेश का सम्मान करते हैं किंतु उच्च न्यायालय के द्वारा जारी आदेश में भी यह बात साफ तौर पर उल्लेखित है की कंपनी अपनी आवश्कता और कार्यक्षमता के अनुरूप ही भर्ती करने के लिए बाध्य है और पूर्व में कार्यरत निजी कंपनी में मजदूरी की वर्तमान नियुक्ति पर कंपनी अपने व्यक्तिगत स्व विवेक और अपनी गाइड लाइन बायलॉ के आधार पर ही भर्ती प्रक्रिया को अंजाम देगी जिसकी पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए लेकिन इसके विपरित कामाख्या के द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश पर भी व्यक्तिगत स्वार्थ और महत्वकांछाओं की पूर्ति की जा रही है और माननीय न्यायलय के आदेश के आधार पर कंपनी को ब्लैकमेल कर दबाव बनाने का सुनियोजित षड्यंत्र रचा जा रहा है।

### आज की हड़ताल से कंपनी की हुई आर्थिक क्षति

कंपनी ने यह बात स्पष्ट की कि बिना न्यायालय के आदेश धारा 173 के तहत कम्पनी में कार्यरत कामाख्या के व्यक्तियों के द्वारा पानी और बिजली सप्लाई लाइन बाधित कर दी गई इस दुष्टता की वजह से कंपनी को करीब एक करोड़ रुपए की क्षति एक शिफ्ट काम बंद होने की वजह से हुई कम्पनी ने आगे यह बात स्पष्ट की कि जो व्यक्ति आज स्ट्राइक में हाजिरी लगाने के बाद बैठे हुए थे उन कर्मियों की संबंधित तिथि की हाजिरी रद्द की जाएगी साथ ही वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी आज जो नुकसान कम्पनी को हुआ इसकी समस्त जवाबदेही कामाख्या नारायण और स्ट्राइक में बैठे कर्मियों की वजह से हुई।

**इनका कहना है**

आज की स्ट्राइक बेबुनियाद थी, बिना किसी वजह के स्ट्राइक करना समझ से परे और राजनीति से प्रेरित है आज की हड़ताल की वजह से कम्पनी को और एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र प्रबंधन को करोड़ों रुपए की आर्थिक क्षति हुई है आज स्ट्राइक में बैठे कर्मियों की हाजिरी रद्द की जाएगी और कारण बताओं नोटिस जारी का स्पष्टीकरण मांगा जाएगा संतोषजनक जवाब ना देने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी

**राजेश्वर यादव जीएम आरके अर्थ रिसोर्सेज कंपनी शारदा ओसीएम सोहागपुर क्षेत्र**

**कौन है कामाख्या, आइए करते हैं नाम और पद की व्याख्या**

कामाख्या नारायण भारतीय जनता पार्टी मंडल बुढार का पूर्व अध्यक्ष है इनका निवास रूंगटा कॉलोनी में हैं भारतीय जनता पार्टी पूर्व जिलाध्यक्ष कमल प्रताप सिंह के कार्यकाल में घोषित हुई मंडल अध्यक्षों की सूची जारी होने के पश्चात सबसे ज्यादा विवाद बुढार मंडल अध्यक्ष को लेकर हुआ था चूंकि तत्कालीन समय पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश आलाकमान के द्वारा 40 आयु वर्ग तक के ही व्यक्ति को मंडल अध्यक्ष बनाए जाने की योग्यता तय की गई थी पार्टी द्वारा स्थापित किए गए इस मापदंड पर खरा ना उतर पाने की वजह से साथ ही मंडल अध्यक्ष बनने की चाह मे कामाख्या के द्वारा अपने शैक्षणिक दस्तावेजों में कूट रचित साजिश को अंजाम दिया गया था और पार्टी को भी धोखे में रखकर मंडल अध्यक्ष का पद शिरोधार्य किया गया था जिसकी चर्चा तत्कालीन समय पर प्रदेश स्तर तक हुई थी

# वन विभाग ने तीन दिन की मशक्कत के बाद किया काबू

**बिगड़ैल हाथी का रेस्क्यू**

**नवभारत, शहडोल।** जिले के केशवाही वन परिक्षेत्र में पिछले कई दिनों से दहशत का पर्याय बने बिगड़ैल हाथी को आखिरकार वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर काबू में कर लिया। ग्रामीणों और मवेशियों की जान के लिए खतरा बने इस हाथी के पकड़े जाने के बाद क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली है।

जानकारी के अनुसार हाथी पिछले कई दिनों से शहडोल एवं आसपास के वन क्षेत्रों में लगातार उत्पात मचा रहा था। 13 मई को केशवाही रेंज के गिरवा कुदरा टोला निवासी किसान छोटेलाल सिंह और उनकी गाय को हाथी ने कुचलकर मार डाला था। घटना के बाद वन विभाग ने हाथी को पकड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू किया, लेकिन हाथी लगातार रेस्क्यू टीम को चकमा देकर घने जंगलों में भाग जाता था, जिससे अभियान काफी चुनौतीपूर्ण बना रहा।

वन विभाग ने अभियान को सफल बनाने के लिए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, जबलपुर और मुकुंदपुर से विशेषज्ञों एवं पशु चिकित्सकों की टीम बुलाई। पांच विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में प्रशिक्षित हाथियों की मदद से लगातार अभियान चलाया गया। करीब तीन दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद केशवाही वन परिक्षेत्र के बेलिया क्षेत्र में हाथी को सुरक्षित तरीके से बेहोश कर काबू में लिया गया तथा जंजीरों से बांधकर नियंत्रित किया गया। वन अधिकारियों के अनुसार हाथी के व्यवहार पर लगातार नजर रखी जा रही है और आगे की कार्रवाई विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर की जाएगी। इस अभियान में वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और विशेषज्ञ टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही इधर, हाथी के रेस्क्यू की खबर मिलते ही ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई। लंबे समय से हाथी के आतंक के कारण दहशत में जी रहे लोगों ने वन विभाग की कार्रवाई की सराहना की है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि अब वे खुद को पहले से अधिक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दक्षिण वन मंडल की प्रभारी वनमंडलाधिकारी तरुणा वर्मा ने बताया कि केशवाही क्षेत्र में नुकसान पहुंचा रहे हाथी का पांच डॉक्टरों एवं प्रशिक्षित हाथियों की मदद से सफल रेस्क्यू कर लिया गया है। अब आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

# अदिति ने 12वीं कक्षा में किया टॉप

**नवभारत, धनपुरी।** धनपुरी निवासी होनहार छात्रा अदिति चतुर्वेदी ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में कार्मेल कॉन्वेन्ट स्कूल अमलाई में कक्षा में विज्ञान समूह में सर्वाधिक अंक अर्जित कर समूचे विद्यालय में पहला स्थान प्राप्त किया है। अदिति अजय कुमार चतुर्वेदी की सुपुत्री तथा नगर के सेवा निवृत लोकप्रिय शिक्षक श्यामलाल शर्मा की पोती हैं। अदिति बचपन से ही पढ़ने में कुशाग्र बुद्धि की रही हैं। उनकी इस सफलता पर नगर में लोगों में हर्ष व्याप्त है। ज्ञातव्य है कि अदिति ने पूरे कार्मेल कॉन्वेंट विद्यालय में कक्षा 12 में 92.2 प्रतिशत अंक प्राप्त नगर का गौरव बढ़ाया है। अदिति के पिता स्थानीय नगर पालिका परिषद में सेवारत हैं। भविष्य में अदिति का सपना डॉक्टर बनने का है। जिसके लिए वह अभी से प्रयत्नशील हैं।

अदिति की इस सफलता पर बधाई देने वालों का तांता लगा है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष व नगर पालिका में सांसद प्रतिनिधि इन्द्रजीत सिंह छाबड़ा, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष अनुपम अनुराग अवस्थी, नगर पालिका अध्यक्ष रविन्दर कौर छाबड़ा, सेवानिवृत्त उपसंचालक शिक्षा वेदव्यास दवे, वरिष्ठ पत्रकार सनत शर्मा, जुगुल किशोर शर्मा, हिन्दू जनजागरण समिति के अध्यक्ष विनोद शर्मा, नगर भाजपा अध्यक्ष अजय शर्मा सहित पत्रकार ऋतुपर्ण दवे, संतोष शर्मा, विनय सिंहा, चन्द्रप्रकाश केशरवानी, जवाहर जसवानी, सदनलाल कपूर, ऋषिकेश दवे, हेमंत सोनी, जयंत जसवानी सहित अनेकों लोगों ने शुभकामनाएं प्रकट करते हुए अदिति को उनकी सफलता पर बधआई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है।

# वर्षों से चल रहे जमीनी विवाद की गुत्थी कब सुलझा पायेगा राजस्व विभाग

**लगभग 15 वर्षों से चल रहे विवाद पर कब लगेगा पूर्ण विराम**

**नवभारत,जयसिंहनगर।** जमीनी विवाद का पूरा मामला पटवारी हल्का बसोहरा क्रमांक 32 से प्रकाश में आया है जहां बटांकन 111 के खसरा नंबर 111/5 रकवा 0.809 हेक्टेयर जो मेघईया पिता नरबदुआ यादव उम्र 76 वर्ष के नाम दर्ज है, जो उसे पिता के उत्तराधिकार पर प्राप्त हुआ है। वहीं खसरा नंबर 111/3 पर मिथिला प्रसाद गुप्ता पिता विशेषर गुप्ता रकवा 0.809 हेक्टेयर की भूमि है, जो उसे भी उत्तराधिकार पर प्राप्त हुआ है। आवेदिका मेघईया ने जानकारी देते हुए बताया है कि संबंधित व्यक्ति ने दस्तावेजों में छेड़छाड़ कराकर खसरा क्र. 111/7 एवं 111/8 राजस्व के दस्तावेजों में दर्ज करा लिया है, दस्तावेजों के अनुसार खसरा नंबर 111/7 जो 1989 के बाद दस्तावेजों में दर्ज किया गया वहीं 111/8 जो पूर्व में हुए आदेशानुसार खसरा नंबर 111/5 जो मेघईया यादव के नाम दर्ज है के खसरे पर छेड़छाड़ कर बनाये जाने का उल्लेख है। मेघईया यादव सहित 111 बटांकन के पड़ोसी किसान भी वर्षों से परेशान हैं। कई बार सीमांकन हुए पर असलियत तक आज तक नहीं पहुंच सकी राजस्व विभाग की टीम, हालांकि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से विधिवत जांच की अपेक्षा की जा रही है। आवेदिका का कहना है कि यही कारण है कि वह और पड़ोसी किसान विगत कई वर्षों से अपने जमीनी दस्तावेज लेकर न्यायालय के चक्कर लगा रहे हैं किन्तु अब तक उन्हें संतोषजनक कार्यवाही का इंतजार है।

### समय के साथ बढ़ता गया रकबा

आवेदिका ने जानकारी देते हुए बताया कि जब उसने नकल शाखा से दस्तावेज के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् उसे प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार मिथिला प्रसाद गुप्ता के पिता विशेषर गुप्ता के नाम खसरा नंबर 111/3 पर कुल 0.809 हेक्टेयर भूमि दर्ज मिली। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब संबंधित व्यक्ति को उसके पिता से उत्तराधिकार पर भूमि प्राप्त हुई तो उसका रकवा स्वतरू कैसे बढ़ गया। पूर्व दस्तावेजों में जहां सन् 1989-90 के पहले खसरा नंबर 111/7 और 111/8 का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता तो आखिर यह भूमि अचानक कहां से आयी। दूसरा सवाल यह है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा भूमि क्रय का भी कोई उल्लेख नहीं मिलता तो आखिर खसरे में भूमि का रकवा कैसे बढ़ा गया।

### दस्तावेजों में छेड़छाड़ का आरोप

आवेदिका ने न्यायालय में कई बार यह आवेदन प्रस्तुत किया है कि बटांकन 111 के दस्तावेजों में छेड़छाड़ किया गया है जिस पर सुधार किया जाना न्यायसंगत होगा। जिसके बाद न्यायालय ने राजस्व प्रकरण क्र.-74/अ-3/2011-12 आदेश दिनांक 15-02-2013 को आदेश जारी करते हुए खसरा क्रमांक 111/5 पर छेड़छाड़ कर 111ध्8 प्रतीत होना बताया। जिस हेतु खसरे में संशोधन का आदेश जारी किए जाने का उल्लेख भी किया गया है। आवेदिका ने रिकॉर्ड में छेड़छाड़ करने पर आरोपियों पर सख्त कार्यवाही करते हुए रिकॉर्ड सुधार की मांग भी की थी।

### आवेदिका सहित पड़ोसी किसानों को मिले न्याय

आवेदिका ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आईएएस काजोल सिंह जो अपने निष्पक्ष निर्णय के लिए जानी जाती हैं, से अपील की है कि आवेदिका की अवस्था को दृष्टिगत रखते हुए उसे न्याय दिलाने की कार्यवाही की जाए। हालांकि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने जब से पदभार ग्रहण किया है तब से उन्होंने राजस्व प्रकरणों की कई उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने का काम किया है।

**तत्कालीन पटवारी ने कर दिया तरमीम में संशोधन**

आवेदिका ने तत्कालीन पटवारी बृजेन्द्र साकेत पर आरोप लगाते हुए कहा है कि राजस्व प्रकरण क्र.74/अ-3/2011-12 आदेश 15-02-2013 के विरुद्ध मिथिला प्रसाद गुप्ता पिता विशेषर गुप्ता ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के समक्ष तरमीम खारिज किए जाने की अपील प्रस्तुत की थी। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के समक्ष प्रकरण विचाराधीन होने के बावजूद तत्कालीन पटवारी बृजेन्द्र साकेत ने संबंधित व्यक्ति से सांठ-गांठ कर पड़ोसी किसानों को सूचित किए बगैर मिथिला प्रसाद गुप्ता एवं उसके उत्तराधिकारियों के मनवाहे स्थान और आवेदिका के पट्टे आराजी की भूमि पर दोबारा तरमीम कर दी। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि प्रकरण विचाराधीन होने पर पटवारी ने किस आधार पर तरमीम कर दी। आवेदिका ने अनुविभागीय राजस्व के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर इसकी जानकारी देकर प्रकरण पर उचित कार्यवाही की मांग की है।

# पौधरोपण को सफल बनाने संभाग स्तरीय कार्यशाला आयोजित

**अमृत हरित महाअभियान**

**नवभारत, शहडोल।** अमृत हरित महाअभियान के अंतर्गत पौधारोपण हेतु भूमि चयन एवं पौधारोपण पूर्व तैयारी विषय पर आधारित संभाग स्तरीय कार्यशाला का आयोजन नगर पालिका परिषद शहडोल के सभागार में किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य पौधारोपण कार्य को वैज्ञानिक, व्यवस्थित एवं प्रभावी ढंग से संपादित करने हेतु अधिकारियों, कर्मचारियों एवं स्व सहायता समूह की महिलाओं को प्रशिक्षित करना रहा।

कार्यक्रम में अध्यक्ष नगरपालिका घनश्याम जायसवाल, संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन आरपी मिश्रा एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी आशा जितेंद्र भंडारी सहित विभिन्न नगरीय निकायों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।कार्यशाला में विषय विशेषज्ञ एसडीओ फॉरेस्ट संतोष कुमार शुक्ला ने पौधारोपण एवं पौध संरक्षण की तकनीकी जानकारियां साझा कीं। वहीं स्टेट मॉनिटरिंग टीम के अशोक कुमार मिश्रा ने वर्चुअल माध्यम से जुड़कर वृक्षारोपण को लेकर विस्तृत मार्गदर्शन दिया। विवेक शर्मा द्वारा लाइव डेमोंस्ट्रेशन के माध्यम से पौधारोपण की व्यवहारिक एवं तकनीकी विधियों की जानकारी दी गई। कार्यशाला में पौधारोपण प्रभारी, नोडल अधिकारी, माली, उद्यान प्रभारी एवं स्व सहायता समूह की महिलाओं को पौधारोपण के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, निराई-गुड़ाई, खाद प्रबंधन एवं सिंचाई की सही विधि और समय के संबंध में विस्तार से प्रशिक्षण प्रदान किया गया।कार्यक्रम में उप यंत्री सुखेंद्र सिंह तोमर, मनोज श्रीवास्तव, चंद्रप्रकाश पांडे एवं शिवराम इडपाचे की विशेष सहभागिता रही। कार्यक्रम का संचालन सिटी मिशन मैनेजर सत्यकाम मिश्रा ने किया।

# खंडवा पर शहडोल की शानदार जीत

**ओपन स्टेट सब जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता में किया विजयी आगाज**

**नवभारत, शहडोल।** उज्जैन में 23 से 26 मई तक आयोजित ओपन स्टेट सब जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता में शहडोल जिले की बालिका टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने पहले मुकाबले में खंडवा को 26-11 से हराकर प्रतियोगिता में विजयी शुरुआत की। मैच के दौरान शहडोल की टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया और विपक्षी टीम पर लगातार दबाव बनाए रखा। खिलाड़ियों के बेहतरीन तालमेल, तेज पासिंग और मजबूत डिफेंस के चलते खंडवा की टीम मुकाबले में वापसी नहीं कर सकी। शहडोल टीम की ओर से आराध्या द्विवेदी, दाक्षी सिंह, अक्षरा बर्मन, अलीना खान एवं एंजेल साकेत ने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर टीम कोच एवं जिला बास्केटबॉल संघ के पदाधिकारियों ने खुशी जाहिर करते हुए आगामी मुकाबलों के लिए शुभकामनाएं दीं।

# नल-जल मिशन में जल की जगह बह रहा भ्रष्टाचार

**गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का फूटा गुस्सा, उच्चस्तरीय जांच की मांग**

**नवभारत, शहडोल।** ब्यौहारी तहसील में संचालित नल-जल मिशन योजना अब ग्रामीणों के लिए राहत नहीं, बल्कि परेशानी और भ्रष्टाचार का प्रतीक बनती जा रही है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा ने योजना में भारी भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और अधिकारियों-ठेकेदारों की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के नाम एसडीएम ब्यौहारी को ज्ञापन सौंपकर उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।

गोंडवाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अजय सिंह पेंड्रो 'मोनू' के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि ब्यौहारी तहसील के कई गांवों में नल-जल योजना पूरी तरह बंद पड़ी हुई है। भीषण गर्मी में ग्रामीण बूंद-बूंद पानी के लिए परेशान हैं, जबकि कागजों में योजनाएं चालू बताकर करोड़ों रुपये खर्च दिखाए जा रहे हैं। ज्ञापन में कहा गया कि ग्रामीणों से नल कनेक्शन के नाम पर पैसे तक वसूले गए, लेकिन आज तक घरों तक पानी नहीं पहुंचा। कई गांवों में पाइपलाइन अधूरी छोड़ दी गई, तो कहीं टंकियां बनकर बेकार खड़ी हैं। पार्टी ने आरोप लगाया कि जनपद पंचायत ब्यौहारी अंतर्गत नल-जल योजना भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है और जिम्मेदार अधिकारी आंख मूंदकर बैठे हैं। पार्टी ने मांग की है कि बंद पड़ी योजनाओं की तत्काल तकनीकी जांच कर उन्हें चालू कराया जाए, जब तक समस्या का समाधान नहीं होता तब तक टैंकरों से पेयजल उपलब्ध कराया जाए तथा पूरे मामले की निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच कर दोषी ठेकेदारों और पीएचई अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।

गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

**अवैध उत्खनन** | **नर्मदा-सोन की सहायक नदियों और प्रतिबंधित जलधाराओं का सीना चीरकर हो रहा काला कारोबार**

# जरवाही बटली में माफिया खुलेआम कर रहा रेत उत्खनन

**नवभारत, जरवाही बटली।** क्या किसी क्षेत्र में बिना सरकारी संरक्षण और बिना थानों की 'हरी झंडी' के कोई माफिया समानांतर सरकार चला सकता है। जवाब है—बिल्कुल नहीं। जरवाही बटली में इन दिनों नर्मदा-सोन की सहायक नदियों और प्रतिबंधित जलधाराओं का सीना चीरकर जो रेत का काला कारोबार चल रहा है, उसने शासन और प्रशासन के दावों की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं। नियम-कायदे और पर्यावरण के रक्षक ही यहाँ भक्षक बन बैठे हैं। सूत्रों से हुआ यह सनसनीखेज खुलासा सीधे तौर पर स्थानीय थानों की भूमिका को कटघरे में खड़ा करता है। खबर है कि जरवाही बटली रेत खदान से रोजाना सैकड़ों ट्रैक्टर और मिनी ट्रक बिना किसी रोक-टोक और बिना किसी वैध रॉयल्टी के निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ 'कार्रवाई नहीं, सिर्फ एंट्री का खेल' चलता है। थानों की तिजोरियां गर्म होते ही कानून अंधा, बहरा और गूंगा हो जाता है।

हैरानी की बात यह है कि पूरा इलाका जानता है कि रेत के इस अवैध धंधे को कौन चला रहा है, लेकिन आज तक इनमें से किसी एक पर भी मामला दर्ज करने की हिम्मत स्थानीय प्रशासन नहीं जुटा पाया। खोजी पत्रकारिता के दौरान जो नाम सामने आए हैं, वे कोई छोटे-मोटे मजदूर नहीं, बल्कि इस पूरे सिंडिकेट के मुख्य सूत्रधार बताए जा रहे हैं। इनके नामों की पहचान अब जगजाहिर है, जिनमें प्रकाश, मुन्ना, छोटू, केशलाल, पवन, बृजेश, सागर, सौरभ, विजय, नंदलाला और अजय शामिल हैं। इन 12 लोगों का बाल भी बांका न होना सीधे तौर पर जिला प्रशासन और पुलिस कप्तान की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। ग्राउंड जीरो से मिले इनपुट और स्थानीय ग्रामीणों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि जरवाही बटली रेत घाट से इन कारोबारियों की गाड़ियां सुरक्षित निकालने के लिए बकायदा थानों और चौकियो का खुला संरक्षण रेत माफियाओ को मिला हुआ है टोकन और एंट्री का यह नेटवर्क इतना मजबूत है कि जैसे ही इन नामों के ट्रैक्टर और मिनी ट्रक रेत लोड करके निकलते हैं, खाकी का पहरा और खनिज विभाग के बैरियर अपने आप 'अदृश्य' हो जाते हैं। यही वजह है कि खुलेआम पर्यावरण की छाती चीरने के बाद भी आज तक आधिकारिक तौर पर इनकी एक भी गाड़ी राजसात नहीं की गई और न ही किसी पर कोई कानूनी शिकंजा कसा गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर इन रेत माफियाओं का इतिहास क्या है? जरवाही बटली में ट्रैक्टर और मिनी ट्रकों से रेत की चोरी करने वाले इन 12 लोगों का आज तक पुलिस रिकॉर्ड और खनिज विभाग का पुराना रिकॉर्ड सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। आखिर इनकी पुरानी फाइलों को क्यों छिपाया जा रहा है। सच्चाई यह है कि अगर वरिष्ठ अधिकारी निष्पक्षता से इन सभी के थानों और खनिज विभाग के पुराने रिकॉर्ड, दर्ज शिकायतों और पूर्व में जब्त हुए वाहनों की फाइलें निकलवा लें, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यदि ये लोग पाक-साफ हैं, तो इनके ट्रैक्टर और मिनी ट्रक हर रात जरवाही बटली के प्रतिबंधित क्षेत्रों में क्या कर रहे होते हैं और अगर इन पर पहले कोई मामला दर्ज नहीं है, तो यह इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि स्थानीय पुलिस पूरी तरह इस सिंडिकेट के साथ मिली हुई है। यह सीधे-सीधे सूबे के मुख्यमंत्री की 'जीरो टॉलरेंस' नीति और खनिज विभाग के दावों को खुली चुनौती है। अगर रीवा-शहडोल संभाग के आला अधिकारी या माइनिंग कमिश्नर इस मामले में हस्तक्षेप कर इन 12 नामों के पुराने मामलों, वाहनों की जब्ती और इनके कॉल डिटेल्स की फॉरेंसिक जांच करवा लें, तो 'खाकी-माफिया गठजोड़' का ऐसा विस्फोट होगा कि कई वर्दीधारियों की कुर्सियां खिसक जाएंगी। यह रिपोर्ट उन ईमानदार उच्च अधिकारियों के लिए एक खुली चुनौती है जो कानून व्यवस्था का दम भरते हैं। अब देखना यह है कि इस महा-खुलासे के बाद इस एंट्री सिंडिकेट पर गाज गिरती है या फिर हमेशा की तरह थानों की तिजोरियां अवैध रेत की मलाई से गरम होती रहेंगी।